राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

निर्वाचन आवश्यक / फैक्स / ई.मेल
पत्रांक : 1356 / रा.नि.आ.-2/925 /2008

दिनांक 07-07-2014

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

राज्य निर्वाचन आयोगः अनुभाग–2 देहरादूनः

विषयः– <u>त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2014 के पश्चात रिक्त रह गये पदों/स्थानों पर निर्वाचन होने के कारण आदर्श आचरण संहिता प्रभावी किया जाना।</u>

महोदय,

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोडकर) में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2014 **के पश्चात** कतिपय ग्राम पंचायतों के **सदस्य ग्राम पंचायत** तथा **प्रधानों** के पदों/स्थानों के निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो जाने के कारण, नामांकन के दौरान विभिन्न पदों/स्थानों पर नामांकन न होने के कारण अथवा अन्य कारणों से रिक्त रह गये ऐसे सभी रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की **अधिसूचना संख्या–1355/रा0नि0आ0–2/925/ 2008 दिनांक 07 जुलाई, 2014** को जारी होने के साथ सम्बन्धित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में **दिनांक** 07.07.2014 **से दिनांक** 28.07.2014 (मतगणना समाप्ति तक) तक आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभावी की जाती है।

अतः उपरोक्त के अनुक्रम में अपने स्तर से सभी प्रमुख सचिवों/सचिवों, विभागाध्यक्षों एवं कार्यालयाध्यक्षों को आदर्श आचरण संहिता का अक्षरशः अनुपालन करने हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

<u>संख्याः–1356/रा0नि0आ0अनु0–2/925/2008 तद्दिनांक।</u>
<u>प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना विकास/वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. उत्तराखण्ड शासन के समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।
4. सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोडकर)।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।

07/7/14

(सुबर्द्धन)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष : 2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 2670920, 2678945